बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

सूचना

बिहार भवन उपविधि (संशोधन), 2022 के उपविधि–6(1) Signing the Plans के प्रावधानों के आलोक में Empanelment of Architect / Registration of Engineer (Civil), Structural Engineer, Town Planner, Supervisor, Group Agency एवं भवन निर्माताओं (Builders) के निबंधन के लिए PR No.-009074(URBAN) 2024-25 के द्वारा दिनांक–01.10.2024 से दिनांक–30.10.2024 तक Online आवेदन प्राप्त किया गया था।

प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त Empanelment / Registration से संबंधित सूची Website https://state.bihar.gov.in/urban एवं https://onlinetcpo.in पर उपलब्ध है। वैसे आवेदक जिन्होंने सभी वांछित कागजात/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया था, वांछित कागजात/दस्तावेज उक्त विभागीय Portal पर Login कर दिनांक–20.03.2025 से दिनांक–07.04.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक सिर्फ Online Upload कर सकते हैं। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसे स्वतः रद्द समझा जाएगा।

11/3/2025

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

तकनीकी कर्मियों एवं भवन निर्माता के निबंधन से संबंधित सूचना

बिहार भवन उपविधि (संशोधन), 2022 के उपविधि–6(1) Signing the Plans के प्रावधानों के आलोक में राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों/आयोजना क्षेत्रों में भवनों/ Layout योजना के नक्शे पर हस्ताक्षर हेतु Architects के Empanelment तथा अन्य तकनीकी कर्मियों यथा–Engineer (Civil), Structural Engineer, Town Planner, Supervisor, Group Agency एवं Builder का निबंधन किये जाने के लिए दिनांक–01.10.2024 से दिनांक–30.10.2024 तक Online आवेदन प्राप्त किया गया था। कुल 990 आवेदन प्राप्त हुए।

2. प्राप्त आवदेनों की समीक्षा वर्णित उपविधि–6(1) तथा उपविधि के Annexure-I Qualification, Experience & Competence of Technical Personnel and Builder में किए प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–173 सहपठित ज्ञापांक–1535, दिनांक–10.02.2025 के द्वारा गठित समिति के द्वारा की गयी।

3. वर्णित समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार भवन उपविधि (संशोधन), 2022 के उपविधि–6(1) Signing the Plans के प्रावधानों के अन्तर्गत Architects का Empanelment तथा अन्य तकनीकी कर्मियों यथा–Civil Engineers, Structural Engineers, Supervisors एवं Builders का निबंधन 05 वर्षों की अवधि के लिए निम्न शर्त्तों/अनुदेशों के अधीन किया जाता है :–

   (i). सूचीबद्ध/निबंधित तकनीकी कर्मी यथा–वास्तुविद्, अभियन्ता (असैनिक), संरचना अभियन्ता, टाउन प्लानर, पर्यवेक्षक एवं भवन निर्माता भवन उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में नियमानुसार Blacklisting एवं दण्ड के भागी होंगे।

   (ii). विभागीय पत्रांक–346, दिनांक–07.03.2019 के आलोक में नक्शा स्वीकृति से संबंधित आवेदन पर वास्तुविद् के द्वारा वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली से आवंटित निबंधन संख्या का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। सूचीबद्ध वास्तुविदों के द्वारा नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन पर Council of Architecture (CoA), New Delhi द्वारा आवंटित Registration Number का उल्लेख किया जाएगा।

   (iii). राज्य के सरकारी विभागों/निगमों/प्राधिकारों/बोर्ड/कार्यालयों में कार्यरत तकनीकी कर्मी (नियमित/संविदा) ऐसी सेवा अवधि में संबंधित कार्यालयों की सरकारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य भवनों के योजना/ले आउट की योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन एवं नक्शे पर हस्ताक्षर के योग्य नहीं होंगे। ऐसा करते पाये जाने पर संबंधित कर्मी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

   (iv). निबंधित भवन निर्माता अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के नियमानुसार योग्य वास्तुविद्/अभियन्ता/नगर निवेशक एवं अन्य पेशेवरों/विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करेंगे।

   (v). तकनीकी कर्मियों एवं भवन निर्मात्ताओं का निबंधन पूर्व में बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि–6 के आलोक में संबंधित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर

पंचायत के स्तर से किया जाता रहा है। राज्य के नगरपालिकाओं/आयोजना क्षेत्र प्राधिकारों के द्वारा पूर्व में Blacklist किये गये तकनीकी कर्मी एवं भवन निर्माता योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन एवं नक्शे पर हस्ताक्षर के योग्य नहीं होंगे।

4. 03 वर्षों से कम अवधि का IT Return जमा करने वाले 116 भवन निर्माताओं का औपबंधिक निबंधन तत्कालिक रूप से व्यक्तिगत IT Return के आधार पर 01 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 01 वर्ष की अवधि के उपरान्त नवीकरण (Renewal) कराना अनिवार्य होगा।

5. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा भवन उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी एवं 05 वर्षों की अवधि के लिए सूचीकरण/निबंधन हेतु कोटिवार अनुशंसा (क्रमशः सारणी–I से सारणी–VII तथा एक वर्ष की अवधि के लिए औपबंधिक निबंधन सारणी–VIII के रूप में संलग्न) की वस्तुस्थिति निम्नवत है :–

Sl.No.	Category	Number of Application	Recommendation for Empanelment/Registration
1	Architect	166	142 (सारणी–I)
2	Civil Engineer	316	149 (सारणी–II)
3	Structural Engineer	127	38 (सारणी–III)
4	Town Planner	21	08 (सारणी–IV)
5	Supervisor	50	25 (सारणी–V)
6	Group Agency	04	01 (सारणी–VI)
7	Builder	306	60 (सारणी–VII) औपबंधिक निबंधन– 116 (सारणी–VIII)
	TOTAL	990	539

6. Architects के Empanelment तथा अन्य तकनीकी कर्मियों यथा–Civil Engineers, Structural Engineers, Supervisors एवं Builders के निबंधन से संबंधित सूची क्रमशः सारणी–I से सारणी–VII तथा 116 भवन निर्माताओं का औपबंधिक निबंधन की सूची सारणी–VIII के रूप में नगर विकास एव आवास विभाग के Website https://state.bihar.gov.in/urban पर उपलब्ध है।

7. समिति द्वारा जिन आवेदनों की अनुशंसा कागजात के अभाव में नहीं की जा रही है, उन्हें दिनांक–20.03.2025 से दिनांक–07.04.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक वांछित कागताज विभागीय Portal पर Online Upload करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे आवेदकों की सारणी–IX से सारणी–XV नगर विकास एव आवास विभाग के Website https://state.bihar.gov.in/urban पर उपलब्ध है।

8. इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

9. नगरपालिका एवं आयोजना प्राधिकार स्तर से तकनीकी कर्मियों एवं भवन निर्माताओं का निबंधन नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

11/3/2025

अपर सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–09/न०वि० Empanelment-04/2024 2913 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–11/03/25

प्रतिलिपि–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत/I.T Manager, नगर विकास एवं आवास विभाग/ श्री श्याम किशोर, Alternative Godgets Solution Pvt. Ltd., Patna-01, Email-solutions.agspl@gmail.com को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2025

अपर सचिव

ज्ञापांक–09/न०वि० Empanelment-04/2024 2913 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–11/03/25

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, बिहार को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2025

अपर सचिव